International Journal of Information Movement Vol. Issue VII (November 2022)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 22-28

भारतीय संगीत का आधार-लोकगीत एवं लोकधुनें

डॉ. सुनीता गुप्ता
(Associate Professor)
चौ. ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड-दड़वाना (कैथल)
Email-id: drsunitagupta04@gmail.com

सारांश: भारतीय लोकगीत और लोकधुनें संस्कृति, परंपराओं और समाज की भावनाओं का जीवंत प्रतिबिंब हैं। ये गीत मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहते हैं और विभिन्न अवसरों—जन्म, विवाह, त्योहार, भक्ति, वीरता और प्राकृतिक सौंदर्य—का चित्रण करते हैं। लोकसंगीत की सादगी, स्वाभाविकता और लोकवाद्यों का प्रयोग इसे अद्वितीय बनाता है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षात्मक मूल्य और पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। आधुनिक समय में लोकगीतों को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं।

मुख्य शब्द: लोकगीत, लोकधुन, भारतीय संगीत, संस्कृति, परंपरा, समाज, लोकसंगीत, ग्रामीण जीवन, मौखिक परंपरा, लोकवाद्य, सांस्कृतिक धरोहर, भक्ति संगीत, वीरता गाथा, मनोरंजन, शिक्षात्मक मूल्य

1.0 भूमिका

भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का आधार लोकगीत और लोकधुनें हैं। यह संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं का जीवंत प्रतिबिंब भी है। लोकसंगीत भारतीय समाज की आत्मा को व्यक्त करता है और इसकी जड़ें ग्रामीण परिवेश में गहरी पैठी हुई हैं।
लोकगीत और लोकधुनें जनमानस की अनुभूतियों को स्वर देती हैं। ये गीत बिना किसी लिखित दस्तावेज के पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रचलित रहे हैं और समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग रूपों में विकसित हुए हैं। इनमें जीवन के सभी पहलुओं – जन्म, विवाह, ऋतुएं, त्योहार, प्रेम, वीरता, भक्ति और सामाजिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र की बोली, भाषा और सांस्कृतिक पहचान लोकसंगीत में स्पष्ट झलकती है।

भारतीय लोकसंगीत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और स्वाभाविकता है। इसमें प्रयुक्त धुनें सरल, सहज और दिल को छू लेने वाली होती हैं। इन धुनों का निर्माण आमतौर पर लोकवाद्यों के सहयोग से होता है। जिनमें ढोल, मृदंग, इकतारा, सारंगी, बांसुरी, रबाब, तानपुरा, ढफली आदि प्रमुख हैं। इन वाद्यों की मधुर ध्वनि लोकगीतों को एक अद्वितीय संगीतमय सौंदर्य प्रदान करती है।
लोकसंगीत की विविधता भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। राजस्थान के मांड, गुजरात के गरबा, पंजाब के गिद्दा और बोलियां, उत्तर प्रदेश और बिहार के कजरी और चौती, बंगाल के भटियाली, महाराष्ट्र के लावणी, कश्मीर के रूफ और चक्कर, असम के बिहू, और दक्षिण भारत के ओप्पारी और कोलाट्टम ये सभी लोकगीत और लोकधुनें भारतीय संगीत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण हैं।
आधुनिक युग में लोकगीतों को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्मी संगीत में लोकधुनों का समावेश किया जाता है और कई संगीतकार पारंपरिक लोकसंगीत को नए रूप में

प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकसंगीत न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है।

लोकगीत और लोकधुनें केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये समाज को जोड़ने और उसकी सांस्कृतिक पहचान को संजोने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इन्हीं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत बनी हुई हैं और यह संगीत सदियों से लोगों के हृदय में विशेष स्थान बनाए हुए है।

लोकगीत की परिभाषा एवं महत्व

परिभाषा

लोकगीत वे गीत होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समाज की परंपराओं, मान्यताओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये गीत मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित होते हैं। लोकगीतों की भाषा सरल, सहज और स्थानीय बोली में होती है, जिससे आम जनमानस इन्हें आसानी से समझ और गा सकता है। इनमें किसी समाज की रीति–रिवाज, धार्मिक, आस्था, प्रेम, वीरता, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि जीवन और सामाजिक मूल्यों का सजीव चित्रण होता है।

2.0 लोकगीतों का महत्व :

1. **सांस्कृतिक पहचान का प्रतीकः** लोकगीत किसी भी समाज या क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। इनमें स्थानीय परंपराओं, मान्यताओं और रीति–रिवाजों का वर्णन होता है, जिससे वे उस समाज की पहचान को संरक्षित रखते हैं।

2. **लोकजीवन का प्रतिबिंब** : लोकगीत आम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं। इनमें किसानों, मजदूरों, ग्वालों, ग्रामवासियों और अन्य वर्गों के सुख–दुःख, संघर्ष, प्रेम, और उल्लास का चित्रण किया जाता है।

3. **सामाजिक समरसता** :लोकगीत लोगों को एकता के सूत्र में बाँधते हैं। इन्हें विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है, जिससे समाज में मेल–जोल और सामूहिक भावना विकसित होती है।

4. **धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व** : लोकगीतों में धार्मिक आस्था और भक्ति का विशेष स्थान होता है। भजन, कीर्तन, जगराते और देवी–देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीत धार्मिक भावना को प्रकट करते हैं और लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा भरते हैं।

5 **रचनात्मकता और मनोरंजन** : लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन भी होता है। शादी, त्योहार, मेले, फसल कटाई आदि अवसरों पर गाए जाने वाले गीत लोगों को आनंदित करते हैं और उत्सव का माहौल बनाते हैं।

6. **ऐतिहासिक एवं वीरता का वर्णनः** कई लोकगीत ऐतिहासिक घटनाओं और वीर पुरुषों के शौर्य गाथाओं को प्रस्तुत करते हैं। जैसे, राजस्थान में 'पद्मावत' और 'पाबूजी के गीत', उत्तर भारत में 'आल्हा–ऊदल के गीत' वीरता की भावना को उजागर करते हैं।

7. **शिक्षात्मक एवं नैतिक मूल्यः** लोकगीतों में जीवन से जुड़ी शिक्षाएं भी होती हैं। ये नैतिकता, प्रेम, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।

8. **पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमः** लोकगीतों में प्रकृति के सौंदर्य और संरक्षण की भावना देखने को मिलती है। वर्षा, नदी, पर्वत, पेड़–पौधों की महिमा का गुणगान करने वाले गीत लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाते हैं।

3.0 लोकगीतों के प्रकारः-

भारत में विभिन्न अवसरों, भावनाओं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार लोकगीतों के अनेक प्रकार हैं–

1. विवाह गीत – विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जैसे बन्ना–बन्नी गीत, मेंहदी गीत, मांगलिक गीत आदि।
2. पर्व और त्योहार गीत – दीपावली, होली, बिहू, बैसाखी आदि त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत।

3. मौसमी गीत – वर्षा, बसंत, शरद आदि ऋतुओं से जुड़े गीत।
4. श्रम और कृषि गीत – किसान, चरवाहे, नाविक, मजदूर आदि कार्यों के दौरान गाए जाने वाले गीत।
5. भक्ति गीत – भजन, कीर्तन, गजल, सूफी गीत आदि जो भक्ति भावना से जुड़े होते हैं।
6. वीर रस के गीत – लोकनायकों, वीरों, योद्धाओं की गाथाओं पर आधारित गीत।
7. शोक गीत – किसी प्रियजन की मृत्यु या दुखद घटना पर गाए जाने वाले गीत। लोकगीत किसी भी समाज की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये गीत मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित होते हैं और समाज की भावनाओं, रीति–रिवाजों, परंपराओं, तथा लोकजीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। लोकगीतों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. **मौखिक परंपरा:** लोकगीत लिखित रूप में कम और मौखिक परंपरा के रूप में अधिक प्रचलित होते हैं। इन्हें बुजुर्ग पीढ़ी नई पीढ़ी को सुनाकर सिखाती है, जिससे इनका संरक्षण स्वतः होता रहता है।
2. **स्थानीयता** : हर क्षेत्र के लोकगीत उस विशेष स्थान की भाषा, संस्कृति, रीति–रिवाज, एवं भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के 'मांड' और 'पंडवानी' गीत, पंजाब के 'माहिया' और 'टप्पे', उत्तर प्रदेश के 'कजरी' और 'चौती' तथा बिहार के 'झूमर' एवं 'विदापत' प्रसिद्ध हैं।
3. **सामूहिकता** : लोकगीतों को अक्सर समूह में गाया जाता है। शादी–विवाह, जन्म, पर्व–त्योहार, कृषि कार्य, युद्ध, प्रेम, भक्ति आदि अवसरों पर इन गीतों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
4. **सरल भाषा एवं शैली** :इन गीतों की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं बोलचाल की होती है, ताकि आम लोग इन्हें आसानी से गा और समझ सकें। इनमें अलंकारिक भाषा का कम प्रयोग किया जाता है और भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होती है।
5. **संगीत और लयबद्धता** :लोकगीतों की धुनें अत्यंत मधुर और लयबद्ध होती हैं, जो श्रोता को सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। इनमें पारंपरिक वाद्ययंत्रों जैसे ढोलक, मंजीरा, बांसुरी, इकतारा, चंग आदि का प्रयोग होता है।

6. **धार्मिक एवं आध्यात्मिक तत्व** :अनेक लोकगीतों में भक्ति रस की प्रधानता होती है, जिनमें देवी–देवताओं, संतों, और धार्मिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे, मीरा के भजन, कबीर के दोहे, और तुलसीदास के रामचरितमानस के अंश लोकगीतों के रूप में भी प्रचलित हैं।
7. **प्रकृति प्रेम** :लोकगीतों में प्रकृति का व्यापक चित्रण मिलता है। वर्षा, बसंत, फूल, नदियाँ, चंद्रमा, सूरज आदि के माध्यम से जीवन के विभिन्न भावों को दर्शाया जाता है।
8. **श्रम एवं जीवन संघर्ष का चित्रण** : कृषि प्रधान समाज में किसान, मजदूर, नाविक, जुलाहा आदि अपने श्रम को सहज बनाने और मनोबल बढ़ाने के लिए लोकगीत गाते हैं। जैसे, हरियाणा और पंजाब में 'हीर–रांझा' और 'वरगीत' खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं।
9. **रस प्रधानता** :लोकगीतों में विभिन्न रसों की प्रधानता होती है, जैसेकृ
– श्रृंगार रस (प्रेम गीत, विवाह गीत)
– वीर रस (युद्ध गीत, वीरों की गाथाएँ)
– भक्ति रस (धार्मिक गीत, भजन)
– करुण रस (वियोग गीत, विरह गीत)
10. **अवसर विशेष गीत** : लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसेकृ
– विवाह गीतः बन्ना–बन्नी, सहेलियां गीत
– मातृगीतः सोहर, लोरी
– मौसमी गीतः चौती, कजरी, फाग
– त्योहार गीतः होली गीत, दीपावली गीत, संक्रांति गीत

11. **परिवर्तनशीलता** : लोकगीत समय के साथ बदलते रहते हैं। लोग अपने अनुभवों, समाज में हो रहे परिवर्तनों और आवश्यकताओं के अनुसार इन गीतों में फेरबदल करते रहते हैं।

4.0 लोकधुनों की परिभाषाः

लोकधुनें (Folk Tunes) वे पारंपरिक संगीत धुनें होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समुदाय की भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक परिवेश को अभिव्यक्त करती हैं। ये धुनें मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं और इनमें स्थानीय वाद्ययंत्रों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है।

5.0 विद्वानों के अनुसार:-

1. डॉ. एस. एन. शर्मा के अनुसार – ''लोकधुनें किसी समाज या क्षेत्र की आत्मा होती हैं, जो वहां की परंपराओं, संस्कारों और जीवनशैली को दर्शाती हैं।''
2. डॉ. हरिमोहन शर्मा के अनुसार – ''लोकधुनें प्राकृतिक और सहज अभिव्यक्ति का माध्यम हैं, जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के भी गायी–बजाई जाती हैं।''
3. विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार – ''लोकधुनें किसी क्षेत्र विशेष की संगीत धरोहर होती हैं, जिनका आधार मौखिक परंपरा और सामूहिक रचनात्मकता होती है।''

लोकधुनों के प्रमुख तत्व

1. सरलता – लोकधुनों में जटिल राग–रागिनी की अपेक्षा सरल और सहज धुनों का प्रयोग होता है।
2. स्थानीयता – प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट लोकधुनें होती हैं, जो उनकी संस्कृति से जुड़ी होती हैं।
3. आवृत्ति – लोकधुनों में धुनों और बोलों की पुनरावृत्ति अधिक होती है, जिससे इन्हें आसानी से याद रखा जा सके।
4. प्राकृतिकता – इन धुनों में प्रकृति के स्वर, पशु–पक्षियों की ध्वनियाँ और जीवन के दैनिक अनुभवों का समावेश होता है।

6.0 भारत के विभिन्न राज्यों के लोकगीत और लोकधुनें:

भारत विविधताओं का देश है, और यहाँ हर क्षेत्र के लोकगीत एवं लोकधुनें अलग–अलग होती हैं।

राज्य/क्षेत्र/ लोकगीत/लोकधुनें
उत्तर प्रदेश –कजरी, बिरहा, चौती, सोहर
बिहार – जट–जटिन, जोगी गीत, निर्गुणी भजन
राजस्थान – मांड, पंछीरा, गोरबंद
पंजाब – गिद्धा, माहिया, बोलियां
बंगाल – बाउल, कीर्तन, भटियाली
महाराष्ट्र – लावणी, कोली गीत
गुजरात – गरबा, डांडिया
तमिलनाडु – ओवियार गीत, थेय्यम
केरल – ओप्पना, वल्लीपाट्टू

6.1 लोकसंगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्रः-

भारतीय लोकसंगीत में विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से प्रमुख हैं

1. तबला और ढोलक – उत्तर भारत में लोकगीतों में ताल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
2. शहनाई और बांसुरी – लोकधुनों में प्रमुख वाद्य, विशेषकर विवाह एवं शुभ अवसरों पर।
3. इकतारा – बाउल गायकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक तार वाला वाद्य।
4. रावणहत्था – राजस्थान के लोकगीतों में प्रयुक्त एक प्रमुख वाद्य।
5. ढोल – पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल आदि के लोकगीतों में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य।

6. संनाथी और नगाड़ा –दक्षिण भारतीय लोकगीतों में प्रयुक्त।

6.2 लोकधुनों की अवधारणाः

लोकधुनों की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई मानी जाती है, जब लोग अपने दैनिक जीवन, प्रकृति, ऋतुओं, पर्वों, प्रेम, विरह और उत्सवों को गीतों और संगीत के माध्यम से व्यक्त करने लगे। ये धुनें आमतौर पर किसी विशेष राग, ताल या लयबद्ध ढांचे में बंधी नहीं होतीं, बल्कि सहज रूप से गाई जाती हैं।

लोकधुनों के प्रकारः

1. त्योहारों और उत्सवों की धुनेंः होली, दिवाली, बैसाखी, बिहू आदि के अवसरों पर बजाई जाने वाली धुनें।
2. विवाह एवं संस्कार धुनेंः शादी–ब्याह, जन्मोत्सव, नामकरण आदि पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों की धुनें।
3. मजदूरी और श्रम गीतों की धुनेंः किसान, चरवाहे, नाविक आदि अपने काम के दौरान जो गीत गाते हैं, वे श्रम गीतों की श्रेणी में आते हैं।
4. प्रेम और विरह की धुनेंः प्रेमी–प्रेमिका के मिलन और विरह को दर्शाने वाली धुनें।
5. सामाजिक एवं धार्मिक धुनेंः भक्ति गीत, कीर्तन, आरती आदि की धुनें।

लोकधुनों का महत्वः

1. संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षणः लोकधुनें किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, जो उसके रीति–रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित रखती हैं।
2. सामाजिक एकता का माध्यमः ये धुनें समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य करती हैं और एकता को बढ़ावा देती हैं।
3. संगीत शिक्षा का आधारः कई शास्त्रीय संगीतकारों की प्रारंभिक शिक्षा लोकधुनों से होती है, क्योंकि यह संगीत की मूल भावना को समझने में सहायक होती है।
4. मनोरंजन का साधनः लोकधुनें नृत्य और संगीत के माध्यम से मनोरंजन का प्रमुख स्रोत रही हैं।
5. लोकजीवन का प्रतिबिंबः लोकधुनों में आम लोगों की भावनाएँ, कठिनाइयाँ, सुख–दुःख और उनके जीवन का हर पहलू झलकता है।

6.3 लोक धुनों की विशेषताएँः

भारतीय लोक संगीत एक अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे समाज की जीवनशैली, विचारधारा, और परंपराओं को व्यक्त करता है। यह संगीत विशेष रूप से जनसामान्य द्वारा गाया जाता है और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, और समुदायों में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। लोक धुनों की विशेषताएँ इस प्रकार हैंः

1. **सरलता और सहजताः** लोक धुनों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी सरलता और सहजता है। इनमें जटिल राग या तालों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सरल और संगीतमय रचनाएँ होती हैं जो आम आदमी की समझ में आती हैं। इनके बोल अक्सर जनजीवन से जुड़ी हुई कहानियों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं।

2. **स्थानीयताः** लोक संगीत विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। हर राज्य या क्षेत्र में अपनी अलग–अलग लोक धुनें और संगीत शैली होती हैं। उदाहरण स्वरूप, पंजाब में भांगड़ा और कवीर की गीत धुनें प्रचलित हैं, वहीं राजस्थान में घूमर और गेर आदि लोक नृत्य धुनें प्रसिद्ध हैं।

3. **भावनाओं का अभिव्यक्तिः** लोक धुनें व्यक्ति की भावनाओं का गहरा चित्रण करती हैं। ये धुनें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्त करती हैं जैसे खुशी, दुख, प्रेम, विरह, और संघर्ष। विवाह, तीज–त्योहार, कृषि कार्य, और अन्य सामाजिक अवसरों पर ये धुनें गाई जाती हैं।

4. **राग–रंग की विविधता**:लोक संगीत में विभिन्न प्रकार के रागों और रंगों का प्रयोग होता है। जैसे की रात को गाने वाली राग और दिन में गाने वाली राग के बीच भिन्नता होती है। इन धुनों में किसी खास समय, मौसम, या भावना को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है।

5. **संगीत का सामूहिक स्वरूप**: लोक धुनों का गायन सामूहिक रूप से किया जाता है। ये न केवल गायन, बल्कि नृत्य और अभिनय का भी हिस्सा बनती हैं। जैसे कि लोक नृत्य पर आधारित गीत, यथा गरबा, काठी, आदि होते हैं, जिनमें समूह के लोग एक साथ नृत्य करते हुए गीत गाते हैं।

6. **साधारण वाद्ययंत्रों का प्रयोग**: लोक संगीत में वाद्ययंत्रों का प्रयोग बहुत साधारण और पारंपरिक होता है। ढोल, मंजीरा, डफली, बाँसुरी, हारमोनियम आदि का उपयोग इस संगीत में प्रमुखता से किया जाता है। ये वाद्ययंत्र आसानी से उपलब्ध होते हैं और आमतौर पर ग्रामीण या कस्बाई जीवन का हिस्सा होते हैं।

7. **लोक जीवन से जुड़ी कहानियाँ**: लोक धुनें आमतौर पर समाज की रोजमर्रा की जिंदगी और उससे जुड़ी कहानियों को दर्शाती हैं। ये गीत कृषि कार्य, घरेलू कार्यों, त्योहारों, और सामाजिक समारंभों पर आधारित होते हैं। कई लोक गीतों में इतिहास, धर्म, और पौराणिक कथाओं का भी समावेश होता है।

8. **अनौपचारिक स्वर**:लोक संगीत में गायक का स्वर बहुत ही अनौपचारिक होता है, जो सीधे तौर पर श्रोताओं के दिलों से जुड़ जाता है। इसमें किसी प्रकार की दिखावटीता या सौंदर्य का कोई ध्यान नहीं होता। आवाज स्वाभाविक और कच्ची होती है, जिससे श्रोता सहज रूप से जुड़ जाते हैं।

9. **विविधता और समावेशिता**: लोक धुनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा गायी जाती है। चाहे वह ग्रामीण हों या शहरी, पुरुष हों या महिलाएं, इन गीतों में सभी का योगदान होता है। यह संगीत सार्वभौमिक है और इसमें विविधता के बावजूद एकता की भावना होती है।

10. **प्राकृतिक तत्वों का समावेश**:लोक गीतों में प्राकृतिक दृश्यों का भी समावेश होता है। जैसे कि बारिश, खेतों की हरियाली, सूरज की रौशनी, चाँद की चाँदनी आदि को इन गीतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह संगीत प्रकृति के प्रति श्रद्धा और उसके साथ संबंध को दर्शाता है।

उदाहरण:

– **राजस्थानी लोक संगीत**: राजस्थान की लोक धुनें अक्सर संघर्ष, वीरता, और प्यार की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। ''गेर'' और ''घूमर'' जैसे नृत्य रूप भी लोक धुनों का हिस्सा हैं।

पंजाबी लोक संगीत, भांगड़ा गिद्दा, और झुमर जैसे लोक नृत्य और गाने पंजाब की लोक धुनों के प्रमुख रूप हैं। ये गीत खुशी के अवसरों पर गाए जाते हैं।

उत्तर भारतीय लोक संगीत: यूपी और बिहार की लोक धुनें आमतौर पर धार्मिक और सामाजिक कथाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे कि होली के गीत या रामलीला गीत।

7.0 निष्कर्ष

भारतीय संगीत का आधार लोकगीत और लोकधुनें हैं, जो इसकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। लोकसंगीत किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर संपूर्ण समाज की सांस्कृतिक धरोहर होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित और विकसित होता रहा है। लोकगीतों और लोकधुनों में क्षेत्रीय विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय मिलता है।

लोकगीतों की सहजता और भावनात्मकता उन्हें आम जनमानस से जोड़ती है। ये गीत त्योहारों, विवाह, फसल कटाई, धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक अवसरों से जुड़े होते हैं। हर क्षेत्र के अपने लोकगीत

होते हैं, जैसे उत्तर भारत में कजरी, बिरहा और चौती, राजस्थान में मांड और पाबूजी की फड़, बंगाल में बाउल, पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा, महाराष्ट्र में लावणी, और दक्षिण भारत में ओप्पारी तथा कोलाट्टम। इसी तरह, लोकधुनों में भी क्षेत्रीयता की झलक मिलती है, जो स्थानीय वाद्ययंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं।

लोकधुनें भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी आधारशिला रही हैं। कई रागों की उत्पत्ति लोकधुनों से हुई है, जैसे भैरवी, मालकौंस, और पीलू। शास्त्रीय संगीत ने लोकसंगीत की भावनात्मक गहराई और सहजता को अपनाकर खुद को और अधिक प्रभावशाली बनाया है। लोकधुनों में सरलता और लयात्मक प्रवाह होता है, जिससे वे श्रोताओं के हृदय तक सीधे पहुँचती हैं।

आधुनिक संगीत में भी लोकधुनों का प्रभाव देखा जाता है। फिल्मी संगीत, पॉप संगीत और फ्यूजन संगीत में लोकसंगीत के तत्वों का प्रयोग किया जाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोकगीत और लोकधुनें आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक तकनीक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोकसंगीत को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है, जिससे इसकी विरासत संरक्षित होने में सहायता मिल रही है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत की आत्मा लोकसंगीत में ही बसती है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। लोकगीत और लोकधुनें समय के साथ विकसित होती रही हैं, लेकिन उनकी मूल भावना आज भी जीवंत बनी हुई है। भारतीय संगीत की पहचान और विविधता का आधार लोकसंगीत ही है, जो इसे अनूठा और विशेष बनाता है।

8.0 पुस्तक संदर्भ

1. ''भारतीय लोकसंगीत'' – डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग
2. ''लोकगीत और लोकसंगीत'' – डॉ. शकुंतला मिश्रा
3. ''भारतीय लोककला एवं संस्कृति'' – डॉ. रामनरेश त्रिपाठी
4. ''लोकगीतों की परंपरा'' – डॉ. सत्यप्रकाश शर्मा
5. राधेश्याम शर्मा, ''भारतीय लोक संगीत'', लोक साहित्य प्रकाशन।
6. उमाशंकर त्रिपाठी, ''भारतीय संगीत का इतिहास'', भारतीय संगीत संस्थान, 2003।
7. भगवती चरण वर्मा, ''लोक कला और संस्कृति'', भारत प्रेस, 2000।
8. ''भारतीय लोक संगीत'' – डॉ. एस. एन. शर्मा
9. ''लोकसंगीत का सांस्कृतिक अध्ययन'' – डॉ. हरिमोहन शर्मा
10. ''भारतीय संगीत और उसकी परंपराएँ'' – विष्णु नारायण भातखंडे